डेयरी प्रसंस्करण, उत्पाद विविधीकरण बुनियादी ढांचे के लिए ए एच आई डी एफ के तहत ऋण

भारत सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए आत्म निर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत एक केंद्रीय योजना पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (ए एच आई डी एफ) की स्थापना की है। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के अधीन, ए एच आई डीएफ डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य वर्धित उत्पाद निर्माण इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

ए एच आई डी एफ के तहत परियोजनाएं, पात्र लाभार्थियों द्वारा व्यवहार्य परियोजनाओं को प्रस्तुत करने के आधार पर, अनुसूचित बैंकों से अनुमानित/वास्तविक परियोजना लागत के 90% तक ऋण के लिए पात्र हैं।

सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम एस एम ई) परिभाषित सीमा के अनुसार, लाभार्थी का योगदान ऋण राशि का 10% हो सकता है। मध्यम उद्यमों के लिए, परिभाषित एम एस एम ई सीमा के अनुसार, लाभार्थी का योगदान 15% तक जा सकता है। अन्य श्रेणियों के उद्यमों में लाभार्थी का योगदान 25% तक जा सकता है।

अनुसूचित बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकतम अदायगी अवधि पहले संवितरण की तारीख से 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें मूल राशि के पुनर्भुगतान पर दो वर्ष की मोहलत भी शामिल है।

डेयरी प्रसंस्करण के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां

डेयरी प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के तहत, पात्र लाभार्थी गुणवत्ता और स्वच्छ दूध प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ नई डेयरी प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना व मौजूदा इकाइयों के सुधार और पैकेजिंग सुविधाओं या डेयरी प्रसंस्करण से संबंधित किसी भी अन्य गतिविधियों को मज़बूत करने के लिए लाभ ले सकते हैं।

मूल्यवर्धित उत्पाद निर्माण के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां

पात्र संस्थाएं निम्नलिखित दुग्ध उत्पादों के मूल्यवर्धन के लिए नई इकाइयों की स्थापना और मौजूदा विनिर्माण इकाइयों को मज़बूत करने के लिए भी ऋण प्राप्त कर सकती हैं:

- आइसक्रीम इकाई
- पनीर विनिर्माण इकाई
- टेट्रा पैकेजिंग सुविधाओं के साथ अल्ट्रा-हाई टेम्प्रेचर (यू एच टी) दुग्ध प्रसंस्करण इकाई
- सुगंधित दुग्ध विनिर्माण इकाई
- दूध पाउडर विनिर्माण इकाई
- मट्ठा पाउडर विनिर्माण इकाई
- कोई भी अन्य दुग्ध उत्पाद और मूल्यवर्धन विनिर्माण इकाई

ए आई एच डी एफ के तहत ऋण के लिए पात्र लाभार्थी

- किसान उत्पादक संगठन (एफ पी ओ)
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम एस एम ई)
- धारा 8 कंपनियां
- निजी कंपनियां
- व्यक्तिगत उद्यमी

लाभ

- लाभार्थियों को निवेश के रूप में न्यूनतम 10% मार्जिन मनी का योगदान करना होगा। शेष 90% ऋण घटक अनुसूचित बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- भारत सरकार पात्र लाभार्थियों को 3% ब्याज सहायता प्रदान करेगी।
- मूल ऋण राशि के लिए 2 साल की मोहलत और उसके बाद 6 साल की अदायगी अवधि होगी।

- क्रेडिट गारंटी फंड (सी जी एफ) से, उन स्वीकृत परियोजनाओं को ऋण प्रत्याभूति प्रदान की जाएगी जो एम एस एम ई परिभाषित सीमा के अंतर्गत आती हैं। गारंटी कवरेज उधारकर्ता को उपलब्ध ऋण सुविधा के 25% तक होगी।

आवेदन कैसे करें?

डेयरी और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचे की स्थापना या मौजूदा बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए निवेश करने के इच्छुक लाभार्थियों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा विकसित 'उद्यमी मित्र' पोर्टल https://ahidf.udyamimitra.in के माध्यम से पूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

अनुसूचित बैंक, परियोजना के उचित मूल्यांकन और मंज़ूरी के बाद, आवेदन/परियोजना को ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से ब्याज सहायता के अनुमोदन के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग को भेज देगा।